



भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&ए/जीडीएल/विविध/141/6/2023
Ref: IRDAI/F&A/GDL/MISC/141/6/2023

दिनांक: 30 जून, 2023
Date: 30th June, 2023

सभी निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं / All Private Sector Insurers,
(एफआरबी के अलावा / other than FRBs)

बीमाकर्ताओं के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश
Guidelines on Remuneration of Directors and Key Managerial Persons of Insurers

क. पृष्ठभूमि:

A. Background:

- i. प्राधिकरण ने 5 अगस्त, 2016 को परिपत्र संदर्भ: आईआरडीए/एफ&ए/जीडीएल/एलएसटीडी/155/08/2016 के अनुसार बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये थे:

The Authority issued the following guidelines on Remuneration of Non-Executive Directors and Managing Director/Chief Executive Officer/Whole-time Directors of Insurers vide Circular Ref: IRDA/F&A/GDL/LSTD/155/08/2016 on 5th August, 2016:

- क. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2016
- a. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Remuneration of Non-Executive Directors of Private Sector Insurers) Guidelines, 2016
- ख. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2016
- b. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Remuneration of Chief Executive Officer/Whole-time Director/Managing Director of Insurers) Guidelines, 2016

- ii. उक्त दिशानिर्देश जो 1 अक्टूबर, 2016 से प्रवृत्त हुए थे, निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों और सीईओ/डब्ल्यूटीडी/एमडी के पारिश्रमिक के लिए रूपरेखा प्रदान की हैं तथा ये दिशानिर्देश वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धांतों के सेट, अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस), जी-20 राष्ट्र मंच तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) की सिफारिशों पर जारी किये गये थे।

The guidelines which came into effect from 1st October, 2016 provide the framework for remuneration of Non-Executive Directors and CEO/WTD/MD of private sector insurers and were issued on the set of principles brought out by the Financial Stability Board (FSB), recommendations of International Association of Insurance Supervisors (IAIS), G-20 Nations Forum and Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

पृष्ठ / Page 1 of 4

- iii. उक्त दिशानिर्देश 6 वर्ष से अधिक प्रवृत्त रहे हैं तथा बीमाकर्ताओं द्वारा इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और अनुपालन के अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि:

The guidelines have been in force for over 6 years and based on the experience of implementation and compliance of guidelines by the insurers, it has been decided to:

- क. उक्त दिशानिर्देशों के विस्तार में सीईओ के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) के पारिश्रमिक को भी लाया जाए,
- a. bring remuneration of Key Managerial Persons (KMPs) other than the CEO also within the ambit of the guidelines,
- ख. निदेशकों और केएमपी के कुल पारिश्रमिक, परिवर्ती वेतन आस्थगन (वेरियबल पे डिफरल), मालस (मैलस) और कराधान द्वारा भरपाई (क्ला बैक) के उपबंधों, लेखांकन, प्रकटीकरण, आदि के संबंध में परिवर्ती भुगतान की सीमा तक अधिक स्पष्टता दी जाए, तथा
- b. give more clarity to the extent of variable pay with respect to the total remuneration of Directors and KMPs, Variable Pay Deferral, Malus and Clawback provisions, Accounting, Disclosures, etc., and
- ग. बीमाकर्ताओं के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक संबंधी संशोधित दिशानिर्देश जारी किये जाएँ।
- c. issue revised guidelines on remuneration of directors and key managerial persons of insurers.

ख. सामान्य:

B. General:

- i. सुदृढ़ पारिश्रमिक नीति और प्रथाएँ किसी भी बीमाकर्ता के कॉर्पोरेट अभिशासन ढाँचे का भाग होती हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य वैयक्तिक पारिश्रमिक के किसी विशिष्ट रूप या स्तर का निर्धारण करने के द्वारा कुशल प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाये रखने की बीमाकर्ता के सामर्थ्य को न तो अनुचित रूप से सीमित करना है और न कम करना है। बल्कि उनका लक्ष्य अत्यधिक जोखिम-ग्रहण से बचने के लिए बीमाकर्ताओं के दीर्घकालिक हितों के साथ पारिश्रमिक नीतियों के सुयोजन को बढ़ावा देना और इसके द्वारा बीमाकर्ताओं के सुदृढ़ समग्र अभिशासन तथा ग्राहकों के संबंध में उचित व्यवहार का संवर्धन करना है।

Sound remuneration policy and practices are part of the corporate governance framework of an insurer. These guidelines are neither intended to unduly restrict nor reduce an insurer's ability to attract and retain skilled talent by prescribing any particular form or level of individual remuneration. Rather, they aim to promote the alignment of remuneration policies with the long term interests of insurers to avoid excessive risk taking, thereby promoting sound overall governance of insurers and fair treatment of customers.

- ii. बीमाकर्ता के बोर्ड को चाहिए कि वह लिखित पारिश्रमिक नीति के प्रभावी अनुपालन को अपनाये और उसकी निगरानी करे जो अत्यधिक अथवा अनुचित जोखिम स्वीकरण को प्रेरित नहीं करता, जो कारपोरेट संस्कृति, उद्देश्यों, कार्यनीतियों, अभिनिर्धारित जोखिम-वहन क्षमता तथा बीमाकर्ता के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप है एवं जो पालिसीधारकों और अन्य हितधारकों के हितों का ध्यान रखता है। बीमाकर्ता के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी पारिश्रमिक नीति कम से कम उन

व्यक्तियों को कवर करे जो बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधक-वर्ग के सदस्य, नियंत्रण कार्यों में मुख्य व्यक्ति और अन्य कर्मचारी हैं जिनके कार्यों का बीमाकर्ता के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है तथा विशेष रूप से जहाँ कार्यनिष्पादन-आधारित परिवर्ती पारिश्रमिक का उपयोग किया जाता है वहाँ अनुपयुक्त या अत्यधिक जोखिम उठाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित न किया जाए।

The Insurer's Board should adopt and oversee the effective implementation of written remuneration policy which does not induce excessive or inappropriate risk taking, is in line with the corporate culture, objectives, strategies, identified risk appetite and long term interests of the insurer and has proper regard to the interests of its policyholders and other stakeholders. The Insurer's Board should ensure that such a remuneration policy, at least, covers those individuals who are members of the Board, Senior Management, Key Persons in Control Functions and other employees whose actions may have a material impact on the risk exposure of the insurer and should not encourage such individuals, to take inappropriate or excessive risks, especially where performance-based variable remuneration is used.

- iii. इसके अलावा, हितों के संघर्षों की संभावना का भी प्रबंध किया जाना चाहिए जो नियंत्रण कार्यों में संबद्ध स्टाफ की सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता से समझौता कर सकती है। इसे ऐसे नियंत्रण कार्यों के लिए प्रमुख रूप से उपयुक्त उद्देश्य प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के आधार पर उनके पारिश्रमिक की व्यवस्था करने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है एवं इसे ऐसे किन्हीं व्यावसायिक यूनिटों के कार्यनिष्पादन के साथ संबद्ध न किया जाए जो उनके नियंत्रण अथवा पर्यवेक्षण आदि के अधीन हैं।

Further, the potential for conflicts of interests that may compromise the integrity and objectivity of the staff involved in control functions should also be managed. This can be achieved by making their remuneration predominantly based on the effective achievement of the objectives appropriate to such control functions, and not linked to the performance of any business units which are subject to their control or oversight, etc.

ग. उद्देश्य:

C. Objectives:

ये दिशानिर्देश जारी करने के प्राथमिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

The primary objective of issuing these guidelines are as under -

- i. क्षतिपूर्ति का प्रभावी अभिशासन सुनिश्चित करना
To ensure effective governance of compensation
- ii. विवेकपूर्ण जोखिम ग्रहण के साथ क्षतिपूर्ति का सुयोजन सुनिश्चित करना
To ensure alignment of compensation with prudent risk taking
- iii. प्रभावी पर्यवेक्षी निगरानी और हितधारक वचनबद्धता सुनिश्चित करना
To ensure effective supervisory oversight and stakeholder engagement
- iv. पॉलिसीधारकों एवं अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
To ensure safety of interest of policyholders and other stakeholders

इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है:

In this background, the Authority, in exercise of its powers under section 14 of the IRDA Act, 1999 issues the following guidelines:

- i. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2023 (अनुबंध-क)
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Remuneration of Non-Executive Directors of Insurers) Guidelines, 2023 (Annexure-A)
- ii. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक) दिशानिर्देश, 2023 (अनुबंध-ख)
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Remuneration of Key Managerial Persons of Insurers) Guidelines, 2023 (Annexure-B)


घ. प्राधिकरण की अतिरिक्त शक्तियाँ:

D. Further powers of the Authority:

- i. स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति: इन दिशानिर्देशों के किन्हीं भी उपबंधों को लागू करने या उनका अर्थ निर्णय करने के संबंध में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष समय - समय पर उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।
Power of the Chairperson to issue clarifications: In order to remove any difficulties in respect of the application or interpretation of any of the provisions of these Guidelines, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications from time to time.

ये दिशानिर्देश भारत में परिचालनरत विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबीएस) पर लागू नहीं हैं। ये दिशानिर्देश संदर्भ: आईआरडीए/एफ&ए/जीडीएल/एलएसटीडी/155/08/2016 दिनांक 5 अगस्त, 2016 के अनुसार जारी किये गये दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करेंगे और उनका अधिक्रमण करेंगे तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रवृत्त होंगे।

These guidelines are not applicable to Foreign Reinsurance Branches (FRBs) operating in India. These Guidelines shall replace and supersede the guidelines issued vide Ref: IRDA/F&A/GDL/LSTD/155/08/2016 on 5th August, 2016 and shall come into effect from FY 2023-24.


सदस्य (वित्त व निवेश) / Member (F&I)